संख्या-19 /2025/ 805 /30-3-2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन कार्यालयों की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-139नजारत/2025-37ए/2024, दिनांक 04-03-2024 एवं पत्र संख्या-139(1)नजारत/2025-37ए/2024, दिनांक 10-03-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव की मद संख्या-29-अनुरक्षण में अवशेष धनराशि रू0 3.08 लाख एवं उक्त मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 185.79 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 188.87 लाख से परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 हेतु द्वितीय किश्त/अंकित किश्त, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय गाजियाबाद एवं उप संभागीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर के मरम्मत/अनुरक्षण संबंधी कार्यों को कराये जाने हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 188.87 लाख (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	लागत आगणन की धनराशि	लो0नि0 विभाग द्वारा परीक्षित धनराशि/अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0	कार्यालय भवन की मरम्मत/अनुरक्षण एवं रंगाई पुताई का कार्य।	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।	103.54 (शासनादेश दिनांक 13.03.2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.65 लाख निर्गत)	19.89 (द्वितीय किश्त/अंतिम किश्त)
2	संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद	कार्यालय भवन की मरम्मत/अनुरक्षण एवं रंगाई पुताई का कार्य।	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,	21.38	20.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			गाजियाबाद		
3	कार्यालय, उप संभागीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर	कार्यालय भवन की मरम्मत/अनुरक्षण एवं रंगाई पुताई का कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-तृतीय, लखनऊ।	149.03	148.19
				कुल योग -	**188.87 लाख**

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च 2024 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉं, मानक एवं गुणवता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(6) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-19/2025/805 (1)/30-3-2025, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद।
6- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सीतापुर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - (1) यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ। (2) यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, गाजियाबाद (3) उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-तृतीय, लखनऊ।।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in